न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–41/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. चेतराम पुत्र श्री जगन जाति माली,
2. भिखारी पुत्र श्री प्रभू जाति माली,
3. जगन पुत्र श्री प्रभू जाति माली,
4. पप्पू पुत्र श्री प्रभू जाति माली निवासीयान ग्राम नौगांवा, लालदास गेट के पास, तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... प्रतिवादीगण अपीलांटस

बनाम

1. शशीकपूर पुत्र स्व0 श्री राजाराम कपूर जाति पंजाबी निवासी ग्राम मौहम्मदपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... वादी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री देवेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राकेश यादव, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 द्वारा एक वाद धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नंबर 907 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम नौगांवा तहसील रामगढ में स्थित है। जो विवादित है। विवादित आराजी वादी की तन्हा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जो आबादी से लगती हुई है। प्रतिवादीगण का वादी की आराजीयात से कोई लेना देना व वास्ता नही है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। और बेजा अतिक्रमण कर निर्माण करना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.05.2017 द्वारा वाद डिक्री कर दिया। जिस आदेश दिनांक 11.05.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि आराजी हाल खसरा नंबर 907 रकबा 0.05 है0 ग्राम नौगांवा में स्थित है जिसके आधे हिस्से तरफ दक्षिण में अपीलांटान का कब्जा है जिसमें अपीलांटान का बाडा दो कच्चे घर, झौंपडी व चारों ओर कच्चा डण्डा बना हुआ है। विवादित आराजी पर कभी काश्त नही हुई है। आबादी का रकबा है। आधा रकबे पर अपीलांटान का कब्जा मौके पर मौजूद है, रेस्पो0 गैरकाबिज है। आराजी खसरा नंबर 907 रकबा 0.05 है0 का साबिक खसरा नंबर 821 रकबा 4 बिस्वा है। अपीलांटान की एकतरफा में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान की गैरमौजूदगी में वाद पत्र को अपीलांटान के खिलाफ निर्णीत कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय से पूर्व अपीलांटान को सुनना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने गैरकानूनी तरीके से कानून के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एकपक्षीय आदेश पारित किया है। राजस्व रिकार्ड से भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी बाडा है, रेस्पो0 ने वाद पत्र में समस्त तथ्य फर्जी, बनावटी खिलाफ रिकार्ड बताये हैं। रेस्पो0 ने वाद पत्र में कब्जेकाश्त की भूमि गलत अंकित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 11.05.2017 निरस्त किया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि अपीलांटस का मिन वादी रेस्पो0 की उक्त वादग्रस्त आराजीयात से कोई लेना देना व वास्ता नही है। अपीलांटस मिन वादी रेस्पो0 की उक्त विवादित कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात में से जबरन कब्जा करना चाहते हैं जबकि अपीलांट को ऐसा करने का कोई कानूनी हक नही है। दिनांक 27.04.2017 को अपीलांटस मजदूरान लेकर आये और वादी रेस्पो0 की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजीयात को नष्ट करने लगे और वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की। अपीलांटस का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी भी प्रकार का नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया।

लोकअदालत/कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति/राजीनामा से निस्तारित किये जा सकने वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है।वाद में प्रतिवादीगण की विधिवत तामील नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबावदावा पेश करने का अवसर भी नही दिया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है. । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहत अदालत में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत तामील कराई जाकर, जबावदावा के आधार पर, विवाद्यक की रचना कर,विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर तनकीवार अपना निर्णय पारित करें।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर